

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

मुख्यालय: पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नया रायपुर, अटल नगर, छ.ग.
दूरभाष :- 0771-2512111, 2512121, फैक्स :- 0771-2512112, 2512122
website: www.cghb.gov.in

परिपत्र

क्रमांक 03

दिनांक 07/07/2020

विषय :- मण्डल की निविदाओं में निविदाकारों द्वारा असातुलित दर दिये जाने पर अतिरिक्त परफार्मेंस सुरक्षा राशि लेने बाबत।

—00—

विषयांतर्गत 04वें मण्डल सम्मिलन दिनांक 27.06.2020 के एजेन्डा क्रमांक-05 में पारित संकल्प क्रमांक-1819/05/64/06/2020 अनुसार मण्डल निविदाओं में छ.ग. लोक निर्माण विभाग के अनुरूप निम्नानुसार कडिका पूर्व प्रावधान के रथान पर प्रतिस्थापित किया जाता है :-

"Additional performance security (APS) shall be deposited by the successful bidder at the time of signing of agreement when the bid amount is seriously unbalanced i.e. less than the estimated cost by more than 10%. In such an event the successful bidder will deposit the Additional Performance Security (APS) to the extent of difference of 90% of the PAC and bid amount in the shape of Bank Guarantee, issued by approved scheduled Bank, for agreed period in favour of the Executive Engineer before signing the agreement. The same shall be refunded along with the normal S.D. after completion of the work. If the contractor fails to complete the work or left the work incomplete, this Additional Performance Security (APS), shall be forfeited by the department, & the agreement shall be terminated and action shall be taken in accordance with clause 3 of the agreement. In case the tenderer/contractor refuses to deposit Additional Performance Security (APS) then his bid will be rejected by the sanctioning authority and earnest money shall be forfeited."

यह परिपत्र जारी करने के दिनांक से लागू किया जाता है।

(मण्डल के आदेशानुसार)

अपर आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, नया रायपुर अटल नगर

L:\Circular.doc

E.E. (Elot.)





छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

(मुख्यालय, पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर - 4
Tele : 0771-2512121, Fax : 2512122, website : www.cghb.gov.in, email : cghbho@ga

परिपत्र

क्रमांक ...०१...

दिनांक ...०४-१२...

विषय :- मण्डल निविदाओं में वर्तमान में प्रचलित Defect Liability Period को 03 स्थान पर छ.ग. रेरा अधिनियम-2017 के अनुरूप 05 वर्ष किये ज मण्डल की निविदा आमंत्रण प्रारूप में संशोधन किये जाने बाबत।

—00—

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 76वाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 25.1 के एजेन्डा क्रमांक-08 में पारित संकल्प क्रमांक-2060/08/76/11/2024 : मण्डल के निविदा आमंत्रण प्रारूप में संशोधन करते हुए निम्नानुसार कंडि प्रावधान के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाता है :-

SPECIAL CONDITIONS OF N.I.T. (Reference Clause 8 of NIT)

(4) Performance Guarantee :-

(i) The contractor shall also be responsible for performance of work, out by him for a period of 60 (Sixty) months beyond the complet work for which performance security has to be furnished by him 5% Percent) of amount of contract. For this purpose contractor has to sub the department a Bank Guarantee of 5% amount of the value of work on every running and final bill payable to him. If contractor fails to s bank guarantee of 5% amount of the gross bill, then 5% amount of bil be deducted from his running and final bill payment. However contractor can get refund of such performance cash security a deducted if he submits appropriate bank guarantee valid for the per stated above or 60 (Sixty) month after actual completion:

If required, the Executive Engineer shall ask the contractor to the validity period of the Bank Guarantee(s) for such period whi considers it proper and the contractor shall extend the validity per such Bank Guarantee accordingly, If the contractor fails to exte period accordingly, the Executive Engineer shall encash the B.G. bef expiry of the validity period.

(ii) The contractor shall have to carry out all necessary "Rectificati defects noticed, caused due to any reasons at his own cost withi reasonable period mentioned in such communication notice fr Executive Engineer/Assistant Engineer to him.

(iv) After two years of completion of construction, 50% (Fifty Per cent) available performance Bank guarantee shall be returned to the contractor subject to the satisfaction of the Executive Engineer and permission of Dy.H.C.

Remaining performance Bank Guarantee as would be remain in recovery all cost plus 15% (Fifteen Percent) for rectification of defects done by the department or through other agency shall be returned after getting written permission of Dy.H.C. after 05 years of completion. Performance guarantee will be in addition to the normal security deducted as per clause 1 of agreement for the execution of contract.

The Tenderer/Contractor shall give in advance authority letter in favour of the Executive Engineer, authorising him to get all Bank Guarantees (either normal security deposit and or for performance security) to get these Bank Receipts and Guarantee deeds verified and got confirmed from the concerned Bank. It will be only after getting such confirmation that the Executive Engineer shall pay any amount accordingly or refund equal amount for which B.G. submitted has been duly verified and confirmed.

(मण्डल के आदेशानुसार)

आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
नवा रायपुर, दिनांक 4/10/24

क्र. 216/एफ-
प्रतिलिपि :-

/तकनीकी/2024

1. स्टॉफ ऑफिसर, मान. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, नवा रायपुर
2. स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, नवा रायपुर।
3. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, प्रक्षेत्र-दुर्ग, बिलासपुर/नवा रायपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर।
4. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, नवा रायपुर
5. मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, नवा रायपुर
6. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, नवा रायपुर
7. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, वृत्त-रायपुर, नवा रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर।



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर
परिपत्र

क्रमांक 02....

दिनांक 11.01.2012

विषय:- मंडल द्वारा भविष्य में क्रियान्वित किये जाने वाले सभी योजनाओं के एन.आई.टी. में कंडिका 3(सी) को सम्मिलित करने बाबत ।

मण्डल के 34वां सम्मिलन दिनांक 27.12.11 के पद संख्या क्र. 15 के संकल्प क्रमांक 932-15/34/12/2011 में लिये गये निर्णयानुसार छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा भविष्य में क्रियान्वित किये जाने वाले सभी योजनाओं में छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग मेनूबल के एन.आई.टी. के कंडिका 3(सी) को सम्मिलित किया जाये एवं निविदा में बर्क शेड्यूल भी संलग्न किया जाये । एन.आई.टी. कंडिका 3(सी) का विवरण निम्नानुसार है:-

"To measure up the work of contractor and to take such part thereof as shall be unexecuted out of his hands and to give it to another contractor to complete in which case any expenses which may be incurred in excess of the sum which would have been paid to the original contractor if the whole work had been executed by him (of the amount of which excess certificate in writing of the Divisional Officer shall be final and conclusive) shall be borne and paid by the original contractor and may be deducted from any money due to him by Government under the contract or otherwise or from his security deposit or the proceeds of sale thereof or a sufficient part thereof." The same provision of recovery of the difference amount will apply in case of failure in compliance on part of the contractor to execute the work or part of the work as per work and time schedule. Dy. H.C./ the concern E.E. will have the right to decide as to which work or which part of work/ item is to be put in fresh tender in case of failure in execution as the part of the contractor.

अतः सभी कार्यपालन अभियंता भविष्य में आमंत्रित किये जाने वाले सभी योजनाओं के एन.आई.टी. में उपरोक्तानुसार प्रावधान एवं बर्क शेड्यूल को सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित करें ।

मंडल के आदेशानुसार

आधुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

मुख्यालय, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग.
दूरभाष :- 0771-2512111, 2512121, फैक्स :- 0771-2512112, 2512122
website: www.cghb.gov.in

परिपत्र

क्रमांक : 02
दिनांक 07/07/2020

विषय :- मण्डल के कार्यों हेतु राशि ₹20.00 लाख तक की निविदायें मैनुअल पद्धति से आमंत्रित करने तथा मैनुअल निविदाओं से संबंधित जानकारी e-Procurement portal में प्रदर्शित किये जाने बाबत।

---00---

विषयांतर्गत 64वॉ मण्डल सम्मिलन दिनांक 27.06.2020 के एजेण्डा क्रमांक-03 में पारित संकल्प क्रमांक-1817/03/64/06/2020 के अनुक्रम में ₹20.00 तक के समस्त कार्यों की निविदाएं मैनुअल पद्धति से आमंत्रित की जायेगी तथा मैनुअल पद्धति से आमंत्रित निविदाओं से संबंधित अन्य जानकारी यथा निविदा क्रमांक, निविदा का विवरण, निविदा की तिथि, न्यूनतम निविदाकार, कार्यादेश की प्रति आदि को e-Procurement portal में प्रदर्शित किया जावे। ₹20.00 से ऊपर की निविदा हेतु ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया की जायेगी।

यह परिपत्र जारी करने के दिनांक से लागू किया जाता है।

(मण्डल के आदेशानुसार)

अपर आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर दिनांक 07/07/2020

क्रमांक 1750/अ.आ./मुख्या./निविदा/101
प्रतिलिपि :-

1. स्टॉफ ऑफिसर, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नवा रायपुर।
2. स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नवा रायपुर।
3. मंडल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय नवा रायपुर।
4. अपर आयुक्त (जे./पी.), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय नवा रायपुर।
5. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नवा रायपुर।
6. मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नवा रायपुर।
7. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नवा रायपुर।
8. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर/वृत्त-रायपुर/नवा रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/अंबिकापुर।
9. समस्त कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की ओर पालनार्थ।
10. गार्ड फाईल।

अपर आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर

एजेण्डा- 03 संकल्प क्र.1817/03/64/06/2020

विषय:- छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग के समान मण्डल के कार्यों में राशि रु. 20.00 लाख तक की निविदायें मैनूअल पद्धति से आमंत्रित करने साथ ही मैनूअल पद्धति से आमंत्रित समस्त निविदाओं से संबंधित अन्य जानकारी यथा निविदा क्रमांक, निविदा का विवरण, निविदा की तिथि, न्यूनतम निविदाकार, कार्यादेश की प्रति आदि को e-Procurement portal में प्रदर्शित किये जाने बाबत।

“संचालक मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल अधिनियम 1972 की कंडिका 103 में प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए सर्व सम्मति से निर्णय लिया जाता है कि मण्डल परिपत्र क्र. 05 दिनांक 12.12.2017 में संशोधन करता है। प्रस्ताव अनुसार रु. 20.00 लाख तक के निर्माण कार्यों की निविदायें मैनूअल पद्धति से आमंत्रित करने पर सहमति दी गई। मेंटेनेंस वर्क के संबंध में पूर्ववत् स्थिति रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई तथा यह निर्णय लिया गया निर्माण कार्य के साथ मेंटेनेंस वर्क में रुपये 20.00 लाख तक लोक निर्माण विभाग की भांति मैनूअल पद्धति से निविदा आमंत्रित की जायेगी। अतः मण्डल के समस्त कार्य जिसमें लागत रुपये 20.00 लाख तक हो, सभी में मैनूअल पद्धति से निविदा आमंत्रित की जावेगी। इस राशि से ऊपर ई-टेण्डरिंग की प्रक्रिया की जावेगी।

मैनूअल पद्धति से आमंत्रित समस्त निविदाओं से संबंधित अन्य जानकारी यथा निविदा क्रमांक, निविदा का विवरण, निविदा की तिथि, न्यूनतम निविदाकार, कार्यादेश की प्रति आदि को e-Procurement portal में प्रदर्शित किये जाने प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए अन्य सभी प्रकार के आवश्यक निर्णय एवं कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत करता है।

एजेण्डा- 04 संकल्प क्र.1818/04/64/06/2020

विषय:- विभिन्न शासकीय/अर्द्ध शासकीय विभागों द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को निक्षेप कार्य के रूप में दी जाने वाली निर्माण कार्यों के तकनीकी स्वीकृति एवं एन.आई.टी. अनुमोदन हेतु वर्तमान में प्रचलित वित्तीय शक्तियों में संशोधन बाबत।

“संचालक मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल अधिनियम 1972 की कंडिका 103 में प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए निर्णय लिया गया कि वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-2 में कार्य विभागों हेतु लागू प्रत्यायोजन परिपत्र क्र. 258/799/वित्त/नियम/चार/2005, दिनांक 27.08.2007 में अंकित निम्न प्रावधान मण्डल में लागू किया जाता है।

इस अनुसार विभिन्न शासकीय/अर्द्ध शासकीय विभागों से निक्षेप कार्य के रूप में प्राप्त निर्माण/विकास कार्यों हेतु तकनीकी स्वीकृति एवं एन.आई.टी. अनुमोदन की वित्तीय शक्तियों में संशोधन करते हुए पी.डब्ल्यू.डी में कार्यपालन अभियंताओं को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के समकक्ष होगी जो कि निम्नानुसार है:-

क्र.	सक्षम प्राधिकारी का नाम	निक्षेप कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति की वित्तीय सीमा	निक्षेप कार्य हेतु एन.आई.टी. अनुमोदन की वित्तीय सीमा
1.	कार्यपालन अभियंता	अधिकतम राशि रु.50.00 लाख	अधिकतम राशि रु.50.00 लाख

आगामी अन्य सभी प्रकार के आवश्यक निर्णय एवं कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत करता है।



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर

परिपत्र

क्रमांक.....

दिनांक.....

विषय :- मंडल द्वारा आमंत्रित निविदाओं में विशेष शर्त को सम्मिलित करने बाबत ।

तेरहवौं मंडल सम्मिलन दिनांक 31.08.2006 में लिए गये निर्णय के पद संख्या क्रमांक 24, संकल्प क्रमांक 350-24/13/08/2006 के निर्णय अनुसार छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल में भविष्य में निविदा आमंत्रित करते समय एवं समय-समय पर कार्य हित में पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा निविदा में संशोधन शर्त को गुण-दोष आधार अनुसार मंडल हित में लागू करने हेतु आयुक्त को अधिकृत किया गया है ।

अतः तदनुसार भविष्य में मंडल द्वारा आमंत्रित सभी निविदाओं में विशेष शर्त के रूप में संशोधित शर्त (प्रति संलग्न) शामिल किया जावे ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।

मंडल के आदेशानुसार


18/9/06


आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

रायपुर, दिनांक 18/9/2006

क्रमांक 0/ 1889 /आ.आ/मुख्या./ 06,

प्रतिलिपि,

1. निज सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर ।
2. निज सचिव, आयुक्त महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर ।
3. मंडल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर ।
4. अधीक्षण अभियंता (प्रशा.), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर ।
5. उपायुक्त 1/11, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर ।
6. लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर ।
7. कार्यपालन अभियंता, संभाग क्रमांक-1/ 2/ 3 रायपुर/ दुर्ग/ बिलासपुर/ राजनांदगाँव/ जगदलपुर/ रायगढ़/ जशपुर की ओर सूचनार्थ ।


आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

मुख्यालय, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग.
दूरभाष :- 0771-2512111, 2512121, फैक्स :- 0771-2512112, 2512122
website: www.cgib.gov.in

परिपत्र

क्रमांक 04

दिनांक 17.09.2020

विषय :- निविदा विज्ञप्ति जारी होने की तिथि एवं निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथि के बीच समयावधि निर्धारण बाबत।

—00—


मण्डल के परिपत्र क्र. 04 दिनांक 14.01.2005 अनुसार मण्डल में निविदा आमंत्रण के लिये समय निर्धारित किया जा रहा है। यह अनुमति दिया जा रहा है कि इस परिपत्र में प्रावधानित समयावधि के कारण कार्य प्रारंभ होने में काफी समय व्यतीत होता है। वर्तमान में सूचना तंत्र के आधुनिकीकरण के कारण प्रचार-प्रसार में भारी सुधार आया है तथा छ.ग. लोक निर्माण विभाग में भी समयावधि कम की गयी है।

अतः मण्डल में मेनुअल/ई-टेंडरिंग निविदा हेतु निर्धारित अवधि का छ.ग. लोक निर्माण विभाग के अनुरूप निम्नानुसार पुनः निर्धारण किया जाता है:-

- | | | |
|------------------------------------|---|--------|
| 1. प्रथम आमंत्रण | - | 20 दिन |
| 2. द्वितीय आमंत्रण | - | 15 दिन |
| 3. तृतीय आमंत्रण एवं आगामी आमंत्रण | - | 10 दिन |

इसके अतिरिक्त अति आवश्यक कार्यों हेतु अल्प अवधि आमंत्रण सूचना के लिये निविदा आमंत्रण हेतु 10 दिन का समय रखा जाता है, जिसके लिये आयुक्त की अनुमति आवश्यक होगी।

यह परिपत्र जारी करने के दिनांक से लागू किया जाता है।


आयुक्त


छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर दिनांक 17/09/2020

क्रमांक/2295/अ.आ./मुख्या./निविदा/101

प्रतिलिपि :-

1. स्टॉफ ऑफिसर, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नवा रायपुर।
2. स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नवा रायपुर।
3. मंडल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय नवा रायपुर।
4. अपर आयुक्त (जे./पी./व्ही.), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय नवा रायपुर।
5. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नवा रायपुर।
6. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नवा रायपुर।
7. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर/वृत्त-रायपुर/नवा रायपुर/दुर्ग/विलासपुर/अंधिकापुर।
8. सगरत कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की ओर पालनार्थ।
9. गार्ड फाईल।


आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
नवा रायपुर अटल नगर



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

(छत्तीसगढ़ शासन का उपक्रम)

मुख्यालय, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़-492002

दूरभाष :- 0771-2512133, 094242-09039

website: www.cghb.gov.in

क्रमांक 3835/आ.आ./मुख्या./21
प्रति,

नवा रायपुर, दिनांक 30/12/2021

कार्यपालन अभियंता
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
संभाग-1/2/3/4 रायपुर/राज.परि.संभाग-1/11/
धमतरी/महासमुंद/जगदलपुर/दुर्ग/कोण्डागांव/राजनांदगांव/
कवर्धा/बिलासपुर/कोरबा/रायगढ़/अंबिकापुर/कोरिया/
विद्युत संभाग-रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर

- विषय:- शासकीय विभागों/शासकीय उपक्रमों में सप्लाई/ठेका निष्पादन के अंतिम भुगतान करने के पूर्व देय कर का शासकीय कोष में जमा होने का सत्यापन।
- संदर्भ:- छ.ग. शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्र. एफ 3774/2020/वाक/पांच, दिनांक 21.09.2020।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित शासन के पत्रानुसार विभाग के साथ-साथ अधीनस्थ निगम/मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी सप्लायर/ठेकेदार को प्रदाय किये जाने वाले सप्लाई आर्डर/वर्क कान्ट्रैक्ट आर्डर में शर्तों को अनिवार्य रूप से लिया जाना है जो निम्नानुसार है:-

1. ठेकेदार/सप्लायर के द्वारा अंतिम भुगतान से पूर्व जीएसटी विभाग से बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र (Tax Clearance Certificate) अथवा पूर्ण देय कर जाम किये जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।

2. चूंकि वर्तमान के क्रियाशील सप्लाई आर्डर/वर्क कान्ट्रैक्ट के निविदा में उपरोक्त शर्त नहीं थी, इसलिये One Time सत्यापन किया जाना उचित होगा कि जिस जीएसटी पंजीजन पर TDS कट रहा है वो जीवित है अथवा नहीं। यह सत्यापन निकटस्थ जीएसटी वृत्त कार्यालय से कराया जा सकता है। साथ ही अंतिम भुगतान या धरोहर राशि विमुक्ति के पूर्व, देय कर का शासकीय कोष में जमा कराये जाने का सत्यापन कराया जाना भी उचित होगा।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों का अनिवार्य रूप से उल्लेख करते हुये कार्यादेश जारी करें एवं शासन के समस्त देयता के भुगतान पश्चात् ही अंतिम देयक का निराकरण करें।


संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

अपर आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, नवा रायपुर

पृ क्रमांक 3836 / आ.आ./मुख्या./21
प्रतिलिपि

नवा रायपुर, दिनांक 30 /12/2021

1. अपर आयुक्त (जे./पी.) छ.ग. गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय/वृत्त-रायपुर/नवा रायपुर/दुर्ग / बिलासपुर/अंबिकापुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अपर आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, नवा रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय

आवास एवं पर्यावरण विभाग
पंजी क ११.०
दिनांक ०७/१०/२०२०

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक एफ 3-74/2020/वाक/पांच,
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21/09/2020

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/
विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार)
छत्तीसगढ़ शासन
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)
2. समस्त विभागाध्यक्ष
छत्तीसगढ़

विषय :-

शासकीय विभागों/शासकीय उपक्रमों में सप्लाइ/ठेका निष्पादन के अंतिम भुगतान करने के पूर्व देय कर का शासकीय कोष में जमा होने का सत्यापन।

—00—

1. शासकीय विभागों/शासकीय उपक्रमों में सप्लाइ/ठेका निष्पादन के समय TDS काटे जाने का प्रावधान है। शासकीय ठेकों में 02 प्रमुख प्रकार के कर अपवंचन के तरीके सामने आए हैं, यथा -
 - अ) 2 % TDS कटने के पश्चात् शेष देय कर (जो कि ठेका निष्पादन में 18 % है) को जमा कराने के एवज में ठेकेदार अपना जी0एस0टी पंजीयन निरस्त करवा रहे हैं। फर्म बंद कर आगामी कार्य हेतु संभवतः नए फर्म खोलते हैं।
 - ब) कुछ ठेकेदार/सप्लायर जी0एस0टी0 पंजीयन निरस्त करा कर शासकीय विभागों में कार्य निरंतर निष्पादित कर रहे हैं। विभाग द्वारा निरस्त पंजीयन के विरुद्ध TDS जमा किया जा रहा है।
2. उपरोक्त दोनों स्थितियों में सप्लायर/ठेकेदार राज्य से बाहर के होने से या सप्लाइ/ठेका समाप्त होने के बाद बकाया राशि की वसूली संभव नहीं होती; जबकि यह कर शासकीय कोष में जमा करने हेतु ही सप्लायर/ठेकेदार द्वारा राज्य शासन की ओर से वसूला गया था।
3. अतः राजस्व हित को ध्यान में रखते हुए आपसे अनुरोध है कि आपके विभाग तथा अधीनस्थ निगम/मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी सप्लायर/ठेकेदारों को प्रदाय किये जाने वाले सप्लाइ आर्डर/वर्क कान्ट्रैक्ट आर्डर में निम्नलिखित शर्त अनिवार्य कर दी जाए :-
 - (1) ठेकेदार/सप्लायर्स के द्वारा अंतिम भुगतान से पूर्व जीएसटी विभाग से बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र (Tax Clearance Certificate) अथवा पूर्ण देय कर जमा किए जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
 - (2) चूंकि वर्तमान में क्रियाशील सप्लाइ आर्डर/वर्क कान्ट्रैक्ट की निविदा में उपरोक्त शर्त नहीं थी, इसलिए One time सत्यापन किया जाना अनिवार्य होगा कि निम्न

11/2/1

जी०एस०टी० पंजीयन पर TDS कट रहा है वो जीवित है अथवा नहीं। यह सत्यापन निकटस्थ जी०एस०टी० वृत्त कार्यालय से कराया जा सकता है। साथ ही अंतिम भुगतान या धरोहर राशि की विमुक्ति के पूर्व, देय कर का शासकीय कोष में जमा कराए जाने का सत्यापन कराया जाना भी उचित होगा।

4.

अतः अनुरोध है कि राजस्व हित में उपरोक्तानुसार कार्यवाही तत्काल की जावे।

(डॉ. मनिंदर कौर द्विवेदी)

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

वाणिज्यिक कर विभाग

पृ.क्रमांक एफ 3-74/2020/वाक/पांच,
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21/09/2020

आयुक्त, राज्य कर, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर
की ओर नवा रायपुर में आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रोषता।

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

वाणिज्यिक कर विभाग

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर

क्रमांक ...64.....

दिनांक ...16.07.2008

परिपत्र

विषय :- मण्डल द्वारा आमंत्रित में सिव्कोर्ड एडवांस से संबंधित कंडिका के संबंध में ।

इक्कीसवों मण्डल सम्मिलन दिनांक 05.07.2008 के पद संख्या क्रमांक 11 के संकल्प क्रमांक 604-11/21/07/2008 में किये गये निर्णयानुसार अनुबंध की धारा 11 बी के तहत ठेकेदार को आबंटित कार्य के संपादन हेतु कय हेतु कय किये गये लोहा के विरुद्ध 90 प्रतिशत एवं अन्य भवन निर्माण सामग्रियों के विरुद्ध 75 प्रतिशत सिव्कोर्ड एडवांस की राशि की वसूली सिव्कोर्ड एडवांस स्वीकृति दिनांक से प्रथम तीन माह तक ब्याज मुक्त रहेगी तथा तीन माह पश्चात् यदि संबंधित ठेकेदार द्वारा अपने चल देयको से पूर्ण कटौती नहीं कराई गई तो शेष राशि पर मण्डल द्वारा 18 प्रतिशत की दर से ब्याज भारित की जावेगी। सभी कार्यपालन अभियंता उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

मण्डल के आदेशानुसार

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
रायपुर

पृ. क्रमांक/1096

/सं.अधि./08 रायपुर, दिनांक 16/07/2008

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर
2. निज सचिव, आयुक्त महोदय, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
3. वरिष्ठ मण्डल सलाहकार, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
4. अपर आयुक्त, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
5. प्रशासकीय अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
6. उपायुक्त I/II/III छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
7. मुख्य लेखाधिकारी छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
8. लेखाधिकारी (ब)/ (ऑडिट) छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
9. कार्यपालन अभियंता, संभाग क्रमांक 1/ 2/ 3/राजधानी परिगोजना रायपुर/ दुर्ग/ बिलासपुर/

कोरबा/राजनांदगाँव/जगदलपुर/ रायगढ़/ जशपुर। की ओर सूचनार्थ ।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर

परिपत्र

क्रमांक53.....

दिनांक ..14.02.2008

विषय :- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल में प्रचलित एन.आई.टी. के कडिका 8.1.2 में संशोधन विषयक ।

उन्नीसवाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 11.01.2008 में लिये गये निर्णय के पद संख्या क्रमांक 15, संकल्प क्रमांक 512-15/19/01/2008 के निर्णय अनुसार छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल में वर्तमान प्रचलित एन.आई.टी. के कडिका 8.1.2 जिसमें कार्यस्थल पर कार्य की देखभाल हेतु ठेकेदार द्वारा अभियंता की नियुक्ति न हाने पर दण्ड का प्रावधान है। वर्तमान से उक्त कडिका में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

रु. 25.00 लाख तक	एक डिप्लोमा धारी अभियंता
रु. 25.00 लाख से रु. 50.00 लाख तक	एक ग्रेजुएट अभियंता
रु. 50.00 लाख से रु. 4.00 करोड़ तक	01 ग्रेजुएट इंजीनियर एवं 03 डिप्लोमा इंजीनियर
रु. 4.00 करोड़ से रु. 10.00 करोड़ तक	02 ग्रेजुएट इंजीनियर एवं 04 डिप्लोमा इंजीनियर
रु. 10.00 करोड़ से रु. 50.00 करोड़ तक	04 ग्रेजुएट इंजीनियर एवं 08 डिप्लोमा इंजीनियर
रु. 50.00 करोड़ से रु. 200.00 करोड़ तक	08 ग्रेजुएट इंजीनियर एवं 16 डिप्लोमा इंजीनियर
रु. 200.00 करोड़ से अधिक	12 ग्रेजुएट इंजीनियर एवं 24 डिप्लोमा इंजीनियर

ठेकेदार द्वारा उपरोक्तनुसार नियुक्ति न करने पर स्नातक अभियंता के क्षेत्र में रु. 10,000.00 तथा डिप्लोमा अभियंता के क्षेत्र में रु. 7,500.00 प्रतिमाह उनके चल देयक से कटौती की जावेगी।

मण्डल के आदेशानुसार।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
शंकर नगर, रायपुर(छ.ग.)

पृ. क्रमांक / 344
प्रतिलिपि :-

/सं.अधि./08

रायपुर, दिनांक 14/02/2008

1. निज सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर ।
2. निज सचिव, आयुक्त महोदय, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर ।
3. वरिष्ठ मण्डल सलाहकार, सचिवालय छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर ।
4. प्रशासनीक अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर ।
5. अधीक्षण अभियंता (प्रशा.) छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर ।
6. लेखाधिकारी छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर
7. उपायुक्त I/II/III छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर
8. कार्यपालन अभियंता, संभाग क्रमांक 1/2 रायपुर/ दुर्ग/ बिलासपुर/ राजनांदगाँवरु जगदलपुर/
जशपुर/रायगढ़ की ओर सूचनार्थ ।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर

क्रमांक23.....

दिनांक ..23.01.2006

परिपत्र

विषय :-

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल में प्रचलित एनआईटी में संशोधन विषयक।

दसवीं मण्डल सम्मिलन दिनांक 12.01.2006 में लिये गये निर्णय के पद संख्या क्रमांक 21, संकल्प क्रमांक 275-21/10/01/2006 के निर्णय अनुसार छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल में वर्तमान प्रचलित एनआईटी में निम्नानुसार संशोधन किया गया है।

1. ठेकेदार को अपनी निविदा अनुसार निविदा स्वीकृति के चार माह के अंदर प्रत्येक श्रेणी का एक मॉडल हाऊस निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।
2. बोनस- संबंधित ठेकेदार को आबंटित कार्य यदि वे निर्धारित समय से पूर्व छ.ग. गृह निर्माण मण्डल के पूर्ण संतुष्टि के साथ पूर्ण करता है तो उसे कार्य लागत का 0-01 % बोनस के रूप में प्रदान किया जावेगा। बोनस की प्रतिशत का निर्णय के लिए आयुक्त अधिकृत रहेंगे।
3. स्पेशिफिकेशन- ठेकेदार को एनआईटी में दर्शाये गये स्पेशिफिकेशन के अतिरिक्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन/बीआईएस/एनबीओ- 2005 का पालन करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में आयुक्त निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
4. पीएमसीएस - मण्डल द्वारा किसी भी निर्माण कार्य पीएमसीएस के माध्यम से संपन्न कराया जा सकता है।
5. कार्य स्थल पर कार्य की देखभाल हेतु ठेकेदार द्वारा अभियंता की नियुक्त तथा नियुक्ति न होने पर दण्ड का प्रावधान- वर्तमान में उक्त कंडिका 8.1.2 को संशोधन करते हुए रु. 25.00 लाख से रु. 50.00 लाख तक के कार्य में कम से कम एक स्नातक अभियंता की नियुक्ति तथा रु. 25.00 लाख तक एक डिप्लोमा धारी अभियंता की नियुक्ति ठेकेदार द्वारा कार्य स्थल पर करना अनिवार्य हैं ठेकेदार द्वारा उपरोक्तानुसार नियुक्ति न करने पर स्नातक अभियंता के क्षेत्र में रु. 10,000.00 तथा डिप्लोमा अभियंता के क्षेत्र में रु. 7,500.00 प्रतिमाह उनके चल देयक से कटौती की जावेगी।

आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
रायपुर

पृ. क्रमांक/207

/सं.अधि./06

रायपुर, दिनांक

/ /23.01.2006

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर
2. निज सचिव, आयुक्त महोदय, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
4. अधीक्षण अभियंता (प्रशा.) छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
5. लेखाधिकारी छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर
6. उपायुक्त I/II/III छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर
7. कार्यपालन अभियंता, संभाग क्रमांक 1/2 रायपुर/ दुर्ग/ बिलासपुर/ राजनांदगाँवरु जगदलपुर/ रायगढ़/ जशपुर। की ओर सूचनार्थ।

आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर

1542 / 26 / 05 / 1998

परिपत्र

मण्डल के 128 वें सम्मिलन की पद संख्या 43 दिनांक 24-04-98 संकल्प क्रमांक 1773/43/128- 4 में लिये गये निर्णय अनुसार भवष्य में मण्डल द्वारा जिन निर्माण कार्यों की हुए सीमेंट की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा ही की जावेगी, उनमें मण्डल द्वारा सीमेंट प्रदाय किये जाने के प्रावधान को न रखते हुए सीमेंट की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा ही की जावेगी, उल्लेख किया जाए। यह प्रक्रिया इस परिपत्र के जारी होने से शीघ्र प्रभावशील हो जाएगी। जिन निर्माण कार्यों के पूर्व में सीमेंट का प्रदाय मण्डल द्वारा अंकित किया गया है, व निविदा बुलवाई जा चुकी है या अनुबंध निष्पादित होकर कार्य जारी है, उनमें पूर्वानुसार प्रावधान यथावत रहेगा। किन्तु यदि बुलाई गई निविदाओं को निरस्त कर पुनः बुलाई जाती है, तो फिर नयी प्रणाली अनुसार की आमंत्रित की जावे।

निविदा प्रपत्रों में सीमेंट की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा की जाने पर निम्न शर्तों का ध्यान रखा जाए व तदानुसार निविदा प्रपत्रों में उल्लेख हो जिससे किसी प्रकार की सीमेंट की गुणवत्ता बाबत व उसके उपयोग पर संदेह की स्थिति न बनी रहें।

1. निविदा प्रपत्र में कुछ सीमित प्रमुख कंपनियों जो कि उस क्षेत्र में है, उनके नाम अंकित किए जाये जिससे केवल उस कंपनी के सीमेंट का कय ठेकेदार द्वारा दिया ऑफर उपयोग कार्य पर हो।
2. प्रमुख कंपनी के अंतर्गत यही सीमेंट, संयंत्र आवेगे जिनकी उत्पादन क्षमता 400 मि.टन प्रतिदिन से अधिक है तथा गुणवत्ता निर्धारित आई.एस.आई. अनुरूप व प्रमाणित करती हैं।
3. सीमेंट न्यूनतम 43 ग्रेड की होगी।

4. ठेकेदार को अधिकृत विक्रेता से सीमेंट कय कर प्रमाणित अवधि बिल प्रस्तुत करना होगा व जब सीमेंट कार्य स्थान पर लाई जायेगी तो उसकी प्रविष्टि मण्डल संबंधित उपयंत्री, सहायक यंत्री द्वारा निर्माण कार्य की माप पुस्तिका में की जावगी।
5. सीमेंट जो कार्य स्थाल पर लाई जायेगी, उसकी जांच ठेकेदार द्वारा स्वयं के अपने व्यय पर इंजीनियरिंग/पालिटेक्नीक या लोक निर्माण विभाग की प्रयोगशाला से करना आवश्यक होगा। यदि सीमेंट की गुणवत्ता निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नहीं पाई जाती है, तो ऐसी संपूर्ण सीमेंट जो उस कार्य के अंतर्गत निर्माण स्थल पर लाई गई है, उसे अमान्य किया जावेगा व ठेकेदार ऐसी सीमेंट निर्माण स्थल से यथाशीघ्र हटा लेगा व यदि इसका उपयोग निर्माण कार्य में हो गया है तो ऐसे निर्माण कार्य को भी ठेकेदार द्वारा हटा कर पुनः निर्माण करना होगा।
6. जांच परिणाम का रिकार्ड प्रत्येक लाट का संबंधित उपयंत्री/सहायक यंत्री द्वारा निर्माण कार्य की माप पुस्तिका में रखा जायेगा।

मण्डल के नाम तथा आदेशानुसार ।

आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,

शंकर नगर, रायपुर(छ.ग.)

पृ. क्रमांक/ 1543 /सं.अधि./98

रायपुर,दिनांक 26/05/1998

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, अध्यक्ष/आयुक्त, उप सचिव (मण्डल) म.प्र. गृह निर्माण मण्डल, भोपाल।
2. अपर आयुक्त, म.प्र. गृह निर्माण मण्डल, प्रक्षेत्र भोपाल/इन्दौर/रायपुर/जयपुर।
3. उपायुक्त, म.प्र. गृह निर्माण मण्डल, वृत्त भोपाल/परि. भोपाल/इन्दौर/जबलपुर/रीवा/दुर्ग/उज्जैन/ग्वालियर ।

4. कार्यपालन अभियन्ता, म.प्र. गृह निर्माण मण्डल, संभाग-1/2/3 भोपाल परि.
1/2/3 भोपाल/इन्दौर/ परि.सं. इंदौर/ ग्वालियर /परि.सं. ग्वालियर/
रीवा/रायपुर/परि.सं.रायपुर/जबलपुर/बिलासपुर/धार/जगदलपुर/
रायगढ़/ भिलाई/ दुर्ग/ सीधी/ खण्डवा/ रतलाम/ उज्जैन/ सागर/
होशंगाबाद/ छिंदवाड़ा/गुना/परि.सं. मंदसौर/ परि.सं.दमोह।

अपर गृह निर्माण आयुक्त
छ.ग. गृह निर्माण मण्डल,रायपुर

//परिपत्र//

विषय:— मण्डल के विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारों की सामग्री के विरुद्ध सुरक्षा अग्रिम (SECURED ADVANCE) देने बाबत।

छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड द्वारा ठेकेदारों के साथ विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु निष्पादित हाने वाले अनुबंध की धारा - 11 (बी) के अंतर्गत ठेकेदारों को कार्य स्थल पर उनके द्वारा चाहई गई नष्ट न होने वाली भवन सामग्री के विरुद्ध सुरक्षा अग्रिम (Secured Advance) देने का प्रावधान है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ प्रकरणों है यह पाया गया है कि ठेकेदारों को नष्ट न होने वाली लाई गई भवन सामग्री हेतु जो सुरक्षा अग्रिम की राशि दी गई है उसमें अनियमितता दृष्टिगोचर हुई है, जैसे कि—

1. कार्यस्थिति का सही आकलन नहीं किया जाकर आवश्यकता से अधिक सुरक्षा अग्रिम देना।
2. समय पूर्व आवश्यकता से अधिक सुरक्षाअग्रिम देना।
3. लम्बे समय तक ठेकेदार द्वारा ऐसी सामग्री उपयोग नहीं करना।
4. कार्य स्थल पर बिल सामग्री हेतु सुरक्षा अग्रिम दिया गया है उसमें कमी पाया जाना

इस प्रकार मण्डल द्वारा समग्री हेतु दी गई सुरक्षा अग्रिम राशि का लम्बी अवधि तक अवरुद्ध होना पाया गया है। अतः उपरोक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए आयुक्त के अनुमोदन से निम्नानुसार सुरक्षा अग्रिम राशि ठेकेदारों को सुरक्षा अग्रिम प्रदान नहीं किया जाए।

1. दरस्थ क्षेत्रों में जहाँ पर मण्डल का नियमित रूप से उप संभाग कार्यालय कायम नहीं है व सहायक यंत्री नियमित रूप से वहाँ पदस्थ नहीं हैं, ऐसे स्थानों पर जहाँ मण्डल का समुचित नियंत्रण संभव नहीं है ठेकेदारों को सुरक्षा अग्रिम प्रदाय नहीं किया जाए।

2. प्रस्तावित निर्माण कार्य जिस हेतु सुरक्षा अग्रिम राशि दी जाना प्रस्तावित है. ऐसा निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा कम से कम प्लिथ सतह तक स्वयं के व्यय से पूर्ण किया हो व उसके उपरान्त ही सुरक्षा अग्रिम उपायुक्त के अनुमोदन से अनुबंध के प्रावधानों अनुसार दिये जाने की प्रक्रिया अपनाई जाए।
3. निर्माण कार्य का सही आकलन करने के उपरांत एवं निर्माण में आगामी तीन माह में सामग्री का उपयोग होना सुनिश्चित हो केवल उतना तक ही सीमित होकर सुरक्षा अग्रिम दिया जाए।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर
परिपत्र


क्रमांक ...०६.....
दिनांक 22/11/15

विषय:- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल में PWD Building Work एवं Road Work SOR 2015 लागू करने बाबत।

---00---

मण्डल हित में तथा कार्य की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल में वर्तमान में प्रचलित एस.ओ.आर. के स्थान पर तुरंत प्रभाव से छत्तीसगढ़ PWD Building Work एवं Road Work SOR 2015 को लागू किया जाता है। इसके पश्चात मंडल द्वारा सभी तकनीकी स्वीकृति PWD Building Work एवं Road Work SOR 2015 के आधार पर ही दी जाकर उक्त मान से निविदायें आमंत्रित की जावेगी। परिपत्र जारी तिथि के पूर्व में आमंत्रित निविदायें यथावत रहेगी।


सभी संभागीय कार्यपालन अभियंता उक्त आदेश का परिपालन किया जाना सुनिश्चित करें।


आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर
22/11/15

क्रमांक/ 403 /आ.आ./मुख्या./निविदा/15,
प्रतिलिपि :-

रायपुर दिनांक 22/11/2015

- 1- स्टॉफ आफिसर, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
- 2- निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
- 3- मंडल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
- 4- अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
- 5- उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर/ वृत्त-रायपुर/ दुर्ग/बिलासपुर।
- 6- मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
- 7- प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
- 8- लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
- 9- संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
- 10- कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, संभाग-1/2/3/4/राजधानी परियोजना संभाग-1/11/विद्युत संभाग रायपुर /दुर्ग/परि. संभाग दुर्ग/बिलासपुर/ कोरबा/राजनांदगाँव /रायगढ़/ जगदलपुर/अंबिकापुर/कोण्डागांव।
- 11- गार्ड फाईल।


आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

(छत्तीसगढ़ शासन का उपक्रम)

Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़

पर्यावास भवन नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19 नया रायपुर, छत्तीसगढ़-492002

दूरभाष :-0771-251231, 251231, फ़ैक्स :- 0771-2512112, 2512122

website: WWW.cghb.gov.in

परिपत्र

क्रमांक 01

दिनांक 29.06.2018

विषय:- मण्डल की निविदाओं में सामग्री परीक्षण का दर पुर्नरीक्षित करने बाबत।

—00—

विषयांतर्गत 56 वॉ मण्डल सम्मिलन दिनांक 30.05.2017 के एजेण्डा क्रमांक-26 में परित संकल्प क्रमांक-1652/26/56/05/2018 में दिनांक 01.08.1999 से प्रभावशील एवं मण्डल की निविदाओं में अविभाजित मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल के आदेश दिनांक 09.08.1999 के अनुसार निर्माण सामग्रियों के परीक्षण हेतु निर्धारित दरों में संशोधन प्रस्ताव को मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

अतः मण्डल की निविदाओं में सामग्री परीक्षण हेतु निम्नानुसार संशोधित दरें प्रभावशील होगी :-

स.क्र.	निविदा राशि	दर
01	रु. 5.00 लाख तक	रु. 2,000.00
02	रु. 5.00 लाख से अधिक तथा रु. 10.00 लाख तक	रु. 5,000.00
03	रु. 10.00 लाख से अधिक तथा रु. 20.00 लाख तक	रु. 7,500.00
04	रु. 20.00 लाख से अधिक तथा रु. 50.00 लाख तक	रु. 15,000.00
05	रु. 50.00 लाख से अधिक तथा रु. 100.00 लाख तक	रु. 25,000.00
06	रु. 100.00 लाख से अधिक तथा 150.00 लाख तक	रु. 50,000.00
07	रु. 500.00 लाख से अधिक	रु. 75,000.00

यह परिपत्र तत्काल प्रभाव से लागू माना जावेगा।

(मण्डल के आदेशानुसार)

अपर आयुक्त
छ.ग. गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय-नया रायपुर

प्रतिलिपि :-

1. स्टॉफ ऑफिसर, माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
2. स्टॉफ आफिसर, आयुक्त महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय नया रायपुर।
3. मंडल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
4. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, नया रायपुर।
5. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर/वृत्त-रायपुर/नया रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/अंबिकापुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, नया रायपुर।
7. प्राशसकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, नया रायपुर।
8. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, नया रायपुर।
9. संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय, नया रायपुर।
10. समस्त कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की ओर पालनार्थ।
11. गार्ड फाईल।

अपर आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय-नया रायपुर

एकीकृत पंजीयन व्यवस्था - ई-रजिस्ट्रेशन

UNIFIED REGISTRATION SYSTEM - E-REGISTRATION

विभिन्न कार्य विभागों में वर्तमान में प्रचलित पंजीयन की पृथक-पृथक व्यवस्थाओं को समाप्त करते हुए पंजीयन की नवीन व्यवस्था एकीकृत पंजीयन व्यवस्था दिनांक 27.1.14 से लागू की जाती है, जिसे "एकीकृत पंजीयन व्यवस्था - ई-रजिस्ट्रेशन" [Unified Registration System - E-Registration] के नाम से जाना जावेगा। नवीन व्यवस्था निम्नानुसार होगी :-

बिन्दु क्रमांक-1 पंजीयन की श्रेणी

1. श्रेणी-अ - असीमित राशि तक के निर्माण कार्यों के लिए।
2. श्रेणी-ब - रुपये 10 करोड़ तक के निर्माण कार्यों के लिए।
3. श्रेणी-स - रुपये 2 करोड़ तक के निर्माण कार्यों के लिए।
4. श्रेणी-द - रुपये 1 करोड़ तक के निर्माण कार्यों के लिए।

बिन्दु क्रमांक-2 परिभाषाएँ

1. पंजीकरण कार्यालय : प्रमुख अभियंता, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग
2. पंजीकरण प्राधिकारी : प्रमुख अभियंता, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग
3. अपीलीय प्राधिकारी : तीन सदस्यीय बोर्ड
 1. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग
 2. संबंधित विभाग के संस्था प्रमुख (सदस्य सचिव)
 3. संचालक वित्त, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग
4. पैन (PAN) नंबर : स्थायी लेखा संख्या
5. टिन (TIN) नंबर : वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा पंजीकृत संख्या
6. टैकदार : आवेदन प्रोप्राइटी फॉर्म पारंपरिक रूप से पंजीकृत कंपनी, पंजीकृत ऐसीजिस्ट्रेशन ऑफ फरसना तथा राज्य शासन अधिनियम शासन का उपयोग होगा



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल मुख्यालय रायपुर

क्रमांक
अति,

2332 /अ.आ./13

रायपुर, दिनांक 22/08/2013

कार्यपालन आतिथ्यता,
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल,
संभाग-1/2/3/4/राजधानी परियोजना संभाग-1/11 रायपुर /
विद्युत संभाग/दुर्ग/परि. संग्रहालय/बिलासपुर/ कौरवा/ राजनांदगांव /
रायगढ़/ जगदलपुर/अंबिकापुर/कोण्डागांव।

विषय :- एन.आई.टी. अनुमोदन हेतु मुख्यालय में प्रस्तुत करने के संबंध में।

—00—

प्रायः यह देखने में आया है कि संभागीय कार्यालयों द्वारा एन.आई.टी. अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने पर एन.आई.टी. के साथ व्यर्थ के कागज एवं पुराने Correspondence भी साथ में अनावश्यक रूप से लगा दिये जाते हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि एन.आई.टी. अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने पर एन.आई.टी. पृथक से फाइल बनाकर भेजें तथा उससे संबंधित अन्य दस्तावेज पृथक से प्रस्तुत किये जायें। एन.आई.टी. में पेज संवर उल्लेखित किया हुआ होना अनिवार्य है। एन.आई.टी. प्रस्तुत करने संबंधी पूर्व में जारी दिशा निर्देशों का भी कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

B. K. S.
22/8/13
अपर आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल
मुख्यालय रायपुर

रायपुर, दिनांक 22/08/2013

पृ.क्रमांक 2383 /अ.आ./13

प्रतिलिपि,

1. निज सहायक आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल मुख्यालय रायपुर।
2. उपायुक्त-1/11 छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल मुख्यालय रायपुर।
की ओर सूचनार्थ।

B. K. S.
अपर आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल
मुख्यालय रायपुर



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर

क्रमांक ३४

/ आ.आ. / मुख्या /

रायपुर दिनांक २२/०१/ २००९

प्रति,

श्री आर. के. शर्मा
कार्यपालन अभियंता,
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
सभाग - रायपुर

विषय :- स्लिथ का स्तर, निर्माणाधीन कालोनी के आंतरिक सड़क से ९० से.मी. की ऊँचाई पर रखी जाने बाबत ।

-००-

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की ओर से प्रपत्र जारी किया गया है कि मण्डल में निर्मित किये जा रहे समस्त प्रकार के भवन जिसमें निम्न आय वर्ग एवं कमजोर आय वर्ग के भवन भी शामिल हैं, का स्लिथ का स्तर, निर्माणाधीन कालोनी के आंतरिक सड़क से ९० से.मी. की ऊँची रखी जावे । इस संबंध में हाल ही में आयोजित बैठक में माननीय मंत्री, आवास एवं पर्यावरण, नगरीय प्रशासन, परिवहन द्वारा भी निर्देश दिया गया है कि इस निर्देश का कड़ाई से पालन सभी कालोनियों में सुनिश्चित किया जावे । उक्त परिपत्र में दिये गये निर्देश अनुसार सभी प्राक्कलन में स्लिथ की ऊँचाई का प्रावधान रखा जावे । यदि किसी भी कालोनी में उक्त परिपत्र का पालन सुनिश्चित नहीं पाया जाता है तो संबंधित कार्यपालन अभियंता पर कार्यवाही की जावेगी । अपर आयुक्त एवं उपायुक्त - २ एवं ३ कृपया अपने प्रभार क्षेत्र के अन्तर्गत उक्त परिपत्र का पालन सुनिश्चित करें एवं तकनीकी स्वीकृति, एन.आई.टी. आदि के अनुमोदन करते समय उक्त निर्देश का पालन करना आपकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी । कृपया निर्देश का पालन सुनिश्चित करें ।



(संजय शुक्ला) 2.10.9

आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ०क० /

प्रतिलिपि :-

/ आ.आ. /

रायपुर, दिनांक

- 1 अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर ।
- 2 उपायुक्त - २ एवं ३, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर ।

आयुक्त
गृह निर्माण मण्डल



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल मुख्यालय रायपुर

क्रमांक 3557 /अ.आ./नि.शा./13
प्रति,

रायपुर, दिनांक 03/10/2013

कार्यपालन अभियंता,
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल,
संभाग-1/2/3/4/विद्युत संभाग रायपुर/
राजधानी परियोजना संभाग-1/11 रायपुर /दुर्ग/परि. संभाग दुर्ग/
विलासपुर/ कोरवा/ राजनांदगाँव /रायगढ़/ जगदलपुर/अंधिकापुर/कोण्डागाँव।

विषय :- एकल निविदा नहीं खोलने के संबंध में।

—00—

विषयांतरगत लेख है कि प्रायः देखने में आता है कि कार्यपालन अभियंता प्रथम आमंत्रण में एकल निविदा प्राप्त होने पर भी निविदा खोलकर निर्णय हेतु प्रस्तुत करते हैं जो कि उचित नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि प्रथम आमंत्रण में यदि निविदा एकल प्राप्त होती है तो वह खोली न जावे तथा मुख्यालय को सूचित करते हुये निविदा पुनः आमंत्रित की जाये।

Baxus
31/10/13
अपर आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल
मुख्यालय रायपुर

रायपुर, दिनांक 03/10/2013

पृ. क्र. 3558 /अ.आ./नि.शा./13

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, आयुक्त महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, मुख्यालय रायपुर की ओर सूचनायें।
2. उपायुक्त-1/11, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, मुख्यालय रायपुर की ओर सूचनायें।

Baxus
31/10/13
अपर आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल

मुख्यालय रायपुर

Additional Conditions Applicable

Action when the contractors become liable for levy penalty:-

Clause – 3:-

- (A) To measure up the work of contractor and to take such part thereof as shall be unexecuted out of his hands and to give it to another contractor to complete in which case any expenses which may be incurred in excess of the sum which would have been paid to the original contractor if the whole work had been executed by him (of the amount of which excess certificate in writing or the Engineer-in-charge shall be final and conclusive) shall be borne and paid by the original contractor and may be deducted from any money due to him by government under the contract or otherwise or from his security deposit or the proceeds of thereof or a sufficient part thereof. The same provision of recovery of the difference amount will apply in case of failure in compliance on part of the contractor to execute the work or part of the work as per work and time schedule. Dy. H.C./ Engineer-in-Charge will have the right to decide as to which work or which part of work / item is it be put in fresh tender in case of failure in execution as the part of the contractor.

Penalty rate for Delayed period levy by the Engineer-in-Charge:-

For Delay in completion of work by the Contractor the Engineer –in-Charge have full power to recover penalty in following manners :-

Sl.NO.	Delay Period	Penalty
01.	For 30 Day's	@2% of Agreement Amount
02.	31 to 50 Day's	@3% of Agreement Amount
03.	51 to 60 Day's	@4% of Agreement Amount
04.	61 to 70 Day's	@5% of Agreement Amount
05.	71 to 100 Day's	@6% of Agreement Amount
06.	100 Day's beyond	@10% of Agreement Amount

Miscellaneous Conditions:-

7.2 Taxes:- The rate quoted by the Contractor shall be deemed to be inclusive of the sales and other levies, duties, royalties, service tax & cess, toll, taxes of Central and state Governments, local bodies and authorities that the contractor will have to pay for the performance of this Contract. The Chhattisgarh Housing Board will perform such duties in regard to the deduction of such taxes at source as per applicable law. Any payment claimed by the Contractor due to any change[s] in the existing tax structure shall not be entertained by the Chhattisgarh Housing Board.

Additional Performance Guarantee:-

If the rate quoted by the contractor (L1) is found low/ vary low as per present market rate in any items are whole items of work in the rate analysis workout by concerning Dy. Housing Commissioner/Executive Engineer found as per below specification. Then 10% amount of contract as **Additional Performance Security Deposit** in the shape of Bank Guarantee/ F.D.R./D.D. deposited from the contractor (L1) before signing of the agreement, which shall be refunded along with the normal S.D. after Completion of work. If he fails to complete the work or left the work incomplete, this 10% Additional performance Security Deposit, shall also be forfeited by the department & the agreement shall be terminated and action shall be taken in accordance with clause-3 of the agreement. In case if tenderer/ contractor does not agree to deposit additional 10% Additional performance security Deposits then his bid may be rejected by the sanctioning authority and earnest money forfeited.

Executive Engineer
Chhattisgarh Housing Board
Division- Kondagaon

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

(छत्तीसगढ़ शासन का उपक्रम)

Credible Chhattisgarh

मुख्यालय, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नया रायपुर, छत्तीसगढ़-492002
दूरभाष :- 0771-2512111, 2512121, फैक्स :- 0771-2512112, 2512122

website: www.cghb.gov.in



परिपत्र

क्रमांक 06

दिनांक 26/12/2017

विषय: मण्डल की निविदाओं में जीएसटी की कड़िका शामिल करने बाबत।

—00—

विषयांतर्गत 55वें मण्डल सम्मिलन दिनांक 24.11.2017 के एजेण्डा क्रमांक-06 में पारित संकल्प क्रमांक-1601/06/55/11/2017 में केन्द्र शासन द्वारा पूर्व प्रचलित शासन के विभिन्न करों के स्थान पर GST (उत्पाद एवं सेवाकर) दिनांक 01.07.2017 से लागू किया गया है। मण्डल के निविदा प्रपत्र 'अ', 'ब', 'स' एवं 'फ' में केन्द्र शासन द्वारा पूर्व निर्धारित कर के अनुसार निविदा की कड़िका 7.2 में उल्लेखित कर, केन्द्र शासन द्वारा निर्धारित GST (उत्पाद एवं सेवाकर) को शामिल किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

अतः मण्डल की समस्त निविदाओं में राज्य शासन तथा केन्द्र शासन द्वारा पूर्व में लागू किये गये विभिन्न करों के अनुसार संबंधित निविदाकार से कर वसूल कर संबंधित विभाग को मण्डल द्वारा जमा किया जाता था। केन्द्र शासन द्वारा उक्त सभी करों के स्थान पर जीएसटी (उत्पाद एवं सेवाकर) को दिनांक 01.07.2017 से लागू किया गया है, जिसके अनुसार निविदाकारों/एजेंसी से शासन द्वारा निर्धारित दर पर मण्डल द्वारा जीएसटी की राशि उनके विभिन्न देयकों से नियमानुसार वसूल कर संबंधित विभाग को जमा किया जावे एवं भविष्य में तैयार किये जाने वाले समस्त एन.आई.टी. की कड़िका 7.2 में आवश्यक संशोधन करते हुए GST की कड़िका शामिल किया जावे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(मण्डल के आदेशानुसार)

अपर आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

मुख्यालय-नया रायपुर

नया रायपुर दिनांक 26/12/2017

क्रमांक/3419/आ.आ./मुख्या./निविदा/72

प्रतिलिपि :-

1. स्टॉफ ऑफिसर, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
2. मंडल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय नया रायपुर।
3. अपर आयुक्त (जे./पी./डी.), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय नया रायपुर।
4. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर/वृत्त-रायपुर/नया रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर।
5. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
6. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
7. लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
8. संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
9. समस्त कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की ओर पालनार्थ।
10. गार्ड फाईल।

अपर आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

मुख्यालय-नया रायपुर

ए-03 संकल्प क्र.1598/03/55/11/2017.

विषय:-जिला नारायणपुर के विभिन्न 02 ब्लॉक मुख्यालयों में शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु आवास निर्माण एवं विकास कार्य की निविदा ।

“संचालक मण्डल, एजेन्डा नोट के प्रस्ताव अनुसार, उच्चाधिकार प्राप्त उपसमिति द्वारा जिला नारायणपुर के विभिन्न 02 ब्लॉक मुख्यालयों में शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवास निर्माण एवं विकास कार्य हेतु स्वीकृत की गई निविदा से मण्डल अवगत हुआ, तथा आगामी आवश्यक निर्णय एवं कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत करता है”।

एजेन्डा-04 संकल्प क्र.1599/04/55/11/2017.

विषय:-रु.5.00 लाख से अधिक की समस्त निविदाएँ ई-टेंडरिंग के माध्यम से क्रियान्वित किये जाने बाबत ।

“संचालक मण्डल दीर्घ-विचारोपरान्त एजेन्डा नोट के प्रस्ताव अनुसार, निविदा में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, निविदा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से मण्डल परिपत्र क्रमांक-10 दिनांक 25.08.2010 में संशोधन प्रस्ताव अनुसार रु.5.00 लाख तक के कार्यों को मेनुअल निविदा के माध्यम से तथा रु.5.00 लाख से अधिक के कार्यों की समस्त निविदाएँ ई-टेंडरिंग के माध्यम से क्रियान्वित किये जाने को अनुमोदन करते हुए, आगामी आवश्यक निर्णय एवं कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत करता है”।

एजेन्डा-05 संकल्प क्र.1600/05/55/11/2017.


विषय:-निक्षेप कार्य के अंतर्गत जिला-कोरबा में विभिन्न निर्माण कार्यों की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत ।

“संचालक मण्डल, एजेन्डा नोट के प्रस्ताव अनुसार, निक्षेप कार्य के अंतर्गत जिला-कोरबा में उरगा भैसना रेल्वे क्रॉसिंग से सिलयारी भाग तक आर.सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य एवं अटल आवास कॉलोनी जेंजरा हुंकरा, कटघोरा में आरसीसी रोड़ एवं ट्यूबवेल कार्य तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल जिला कार्यालय भवन कोरबा का मरम्मत कार्य एवं वाहन शेड का निर्माण कार्य की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए, आगामी आवश्यक निर्णय एवं कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत करता है”।

एजेन्डा-06 संकल्प क्र.1601/06/55/11/2017.


विषय:-मण्डल की निविदाओं में जीएसटी की कंडिका शामिल करने बाबत ।

“संचालक मण्डल, एजेन्डा नोट के प्रस्ताव अनुसार, केन्द्र शासन द्वारा पूर्व प्रचलित शासन के विभिन्न करों के स्थान पर जीएसटी (उत्पाद एवं सेवाकर) दिनांक 01.07.2017 से लागू किया गया है। मण्डल के निविदा प्रपत्र-अ, ब, स एवं फ में केन्द्र शासन तथा राज्य शासन द्वारा पूर्व निर्धारित कर के अनुसार निविदा की कंडिका 7.2 में उल्लेखित कर केन्द्र शासन द्वारा निर्धारित जीएसटी (उत्पाद एवं सेवाकर) को शामिल किये जाने के प्रस्ताव अनुमोदन करते हुए, आगामी आवश्यक निर्णय एवं कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत करता है”।


 -03-

Sub:- New conditions in various tender forms with respect to Goods and Service Tax (GST)

Sl. No.	Particulars/Form/Clause	Our comments
1.	Form-A: In Form-A, to be Change in clause 7.2	<p>Clause 7.2 GST AND OTHER TAXES: "Taxes: The rate quoted by the contractor shall be deemed to be inclusive of all taxes such as levies, duties, royalties, cess, toll, taxes of Central and State Governments including GST (Goods and Service Tax), taxes of local bodies and Authorities which the contractor will have to pay for the performance of this contract.</p> <p>The Board will perform such duties in regard to the deduction of such taxes at source, as per law applicable."</p> <p>All above taxes will be paid by the contractor and the same will not be separately reimbursed by CGHB during the currency of contract, if any new tax is imposed by Central Govt., State Govt. or by local body the same will also not be reimbursed by the Board. Similarly even any increase in any taxes will also not be reimbursed by the Board.</p>
2.	Form-B: In Form-B, to be Change in clause 7.2	<p>GST AND OTHER TAXES: "Taxes: The rate quoted by the contractor shall be deemed to be inclusive of all taxes such as levies, duties, royalties, cess, toll, taxes of Central and State Governments including GST (Goods and Service Tax), taxes of local bodies and Authorities which the contractor will have to pay for the performance of this contract.</p> <p>The Board will perform such duties in regard to the deduction of such taxes at source, as per law applicable."</p> <p>All above taxes will be paid by the contractor and the same will not be separately reimbursed by CGHB during the currency of contract, if any new tax is imposed by Central Govt., State Govt. or by local body the same will also not be reimbursed by the Board. Similarly even any increase in any taxes will also not be reimbursed by the Board.</p>


 Additional Commissioner
 Chhattisgarh Housing Board
 Head Office, RAIPUR (C.G.)

3.	<p>Form-C: Miscellaneous Conditions: In Miscellaneous Conditions, clause-5 reads as under:- "Taxes: The rate quoted by the Contractor shall be deemed to be inclusive of the GST (Goods and Service Tax) and other levies, duties, royalties, tax and cess, toll, taxes of Central and State Government, Local bodies and authorities that the Contractor will have to pay for the performance of this Contract. The Chhattisgarh Housing Board will perform such duties in regard to the deduction of such taxes of source as per applicable law. Any payment claimed by the Contractor due to any change (s) in the existing tax structure shall not be entertained by the Chhattisgarh Housing Board."</p>	<p>Clause- 7.2 Miscellaneous Conditions: GST AND OTHER TAXES : "Taxes: The rate quoted by the contractor shall be deemed to be inclusive of all taxes such as levies, duties, royalties, cess, toll, taxes of Central and State Governments including GST (Goods and Service Tax), taxes of local bodies and Authorities which the contractor will have to pay for the performance of this contract.</p> <p>The Board will perform such duties in regard to the deduction of such taxes at source, as per law applicable."</p> <p>All above taxes will be paid by the contractor and the same will not be separately reimbursed by CGHB during the currency of contract, if any new tax is imposed by Central Govt., State Govt. or by local body the same will also not be reimbursed by the Board. Similarly even any increase in any taxes will also not be reimbursed by the Board.</p>
4.	<p>In form "F" In Form-F, to be Change in clause 7.2</p>	<p>Clause 7.2 GST AND OTHER TAXES: "Taxes: The rate quoted by the contractor shall be deemed to be inclusive of all taxes such as levies, duties, royalties, cess, toll, taxes of Central and State Governments including GST (Goods and Service Tax), taxes of local bodies and Authorities which the contractor will have to pay for the performance of this contract.</p> <p>The Board will perform such duties in regard to the deduction of such taxes at source, as per law applicable."</p> <p>All above taxes will be paid by the contractor and the same will not be separately reimbursed by CGHB during the currency of contract, if any new tax is imposed by Central Govt., State Govt. or by local body the same will also not be reimbursed by the Board. Similarly even any increase in any taxes will also not be reimbursed by the Board.</p>


 Additional Commissioner
 Chhattisgarh Housing Board
 Head Office, RAIPUR (C.G.)



// आदेश //

क्रमांक 328

दिनांक 16/07/2010

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 28वें मण्डल सम्मिलन की पद संख्या क्रमांक 4 पर पारित संकल्प क्रमांक 767-04/28/05/2010 में लिये गये निर्णय के परिपालन में भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 की धारा 3 (1) के प्रावधान अनुसार भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य की लागत की 1% (एक प्रतिशत) राशि उपकर के रूप में ठेकेदार द्वारा "Chhattisgarh Building & Other Construction Works Welfare Board" के नाम से सहायक श्रमायुक्त एवं भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर निर्धारण अधिकारी, रायपुर के नाम से जमा कराना सुनिश्चित करें।

ठेकेदार द्वारा उक्त राशि कर जमा करने कि पावती/रसीद प्राप्त कर संभागीय कार्यालय द्वारा प्रमाणीकरण के उपरान्त ही अंतिम देयकों का भुगतान ठेकेदार को किया जाय। मण्डल द्वारा भविष्य में निर्माण कार्यो हेतु आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं कि निविदा सूचना के परिशिष्ट व "कान्ट्रैक्टर लेबर रेगुलेशन में कंडिका "I" " निम्नानुसार उल्लेख की जावे।

" ठेकेदार द्वारा निर्माण की लागत की 1% राशि उपकर के रूप में छत्तीसगढ़ भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल में जमा की जावेगी। ठेकेदार द्वारा संभाग कार्यालय में पावती/चालान प्रस्तुत करने पर ही अंतिम देयकों का भुगतान ठेकेदार को किया जावेगा। "

मण्डल के आदेशानुसार

आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,

रायपुर

रायपुर, दिनांक 16/07/2010

पृ. क्रमांक/3134 /आ.आ./प्रशा./मुख्या/10

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, गाननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
2. निज सहायक, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
4. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर।
5. उपायुक्त (तक:-2/3), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर।
7. लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर।
8. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग क्रमांक-1/2/3/4, रायपुर/राजधानी परियोजना संभाग रायपुर/संभाग दुर्ग/बिलासपुर/परियोजना संभाग दुर्ग/राजनांदगांव/जगदलपुर/अश्विकापुर/रायगढ़/कोरबा।
9. आदेश नरती।

आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,

रायपुर



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर

परिपत्र

क्रमांक...12....

दिनांक...15.12.16

विषय:- निर्माणाधीन कालोनी के भवनों के प्लिन्थ स्तर की ऊँचाई 60.00 से.मी. से 90.00 से.मी. तक रखे जाने के संबंध में ।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के पत्र क्रमांक 39, दिनांक 01-01-2009 द्वारा निर्देश दिए गए थे कि निर्माणाधीन कालोनियों के प्लिन्थ का स्तर आंतरिक सड़क से 90.00 से.मी. ऊपर रखा जावे । इस संबंध में निर्णय लिया गया है कि प्लिन्थ का स्तर कार्यस्थल की स्थिति को देखते हुए आंतरिक सड़क की डामरीकृत/सी.सी. रोड की ऊपरी सतह से 60.00 से.मी. से 90.00 से.मी. तक रखा जावे ।

समस्त कार्यपालन अभियंताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे प्राक्कलन बनाते समय भी प्लिन्थ की ऊँचाई को कार्यस्थल के अनुसार 60.00 से.मी. से 90.00 से.मी. के अन्दर ही रखें ।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे ।

आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

रायपुर

पृ०क्र० 1066 /आ.आ./मुख्या./ 10,
प्रतिलिपि,

रायपुर, दिनांक 15/12/2010

1. निज सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर ।
2. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर ।
3. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर ।
4. उपायुक्त - II/ III, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर ।
5. कार्यपालन अभियंता, संभाग क्रमांक-1/ 2/ 3/ 4 रायपुर / राजधानी परियोजना संभाग रायपुर/परि.संभाग दुर्ग/संभाग दुर्ग/बिलासपुर/ कोरबा/ राजनांदगाँव/ जगदलपुर/रायगढ़/ जशपुर की ओर सूचनार्थ ।

आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

रायपुर

14/12/16

R.S. Page 10

C	Admission
---	-----------

Date 29 /08 /2012

18

As per direction & approval from Hon'ble Chairman & Commissioner Following Amendment in N.I.T. clause shall be included in coming and proposed new construction work.

1. Punishment / Penalty for Delay in completion of work :-

Concerned Executive Engineer will be fully responsible for recovery of Penalty. All Executive Engineers should ensure to include above mentioned Amendment in all types of N.I.T.

Barrow
29/8/12
Addl. Commissioner
Chhattisgarh Housing Board
Head Office, Raipur *L*

